निग /2820/II/15

सर्किट कोर्ट

न्यायालयश्री मान ~~राजस्व मण्डल~~ महोदय, रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

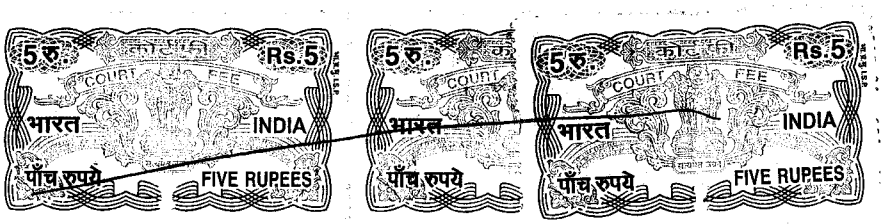

Rs. 15/-

272
22.7.15

भैयालाल पटेल तनय रामसेवक पटेल निवासी ग्राम रौठी तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0) :--- निगरानीकर्ता

बनाम

शेषमणि पटेल तनय विश्वनाथ पटेल निवासी ग्राम रौठी तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0) --- रेस्पा0

2- म0प्र0 शासन

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार तह0 गुढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 6/7/2015 रा0प्र0 क्र0 48/ए-70/14-15 में पारित आदेश के विरूद्ध।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 सन् 1959ई0

श्री भुवनेश्वर तिवारी एड. द्वारा आज दिनांक 22.07.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त आधार इस प्रकार है :-

(1) यह कि आवेदक/निगरानी कर्ता द्वारा द्वारा दिनांक 22/6/15 को इस आशय का प्रस्तुत कियागया था कि निगरानीकर्ता की स्वत्त्व व अधिपत्य की भूमि आ0 नं0 270, 267/क रकबा0.49 हे0में काबिज व काश्तकार है, तथा उक्त भूमि में निगरानी कर्ता पक्का मकान का निर्माण करायागया है। मकान के सामने व पीछे के भूमि को अन्य कार्यों के निस्तार के लिये छोड़ी गयी थी जिसमें गैर निगराकार क्र0 1 के द्वारा सरहंगी पूर्वक अवैध रूप से मकान का निर्माण करवाया जा रहा है। जिसके सबंध में तहसीलदार तह0गुढ़ के समक्ष सीमांकन के करार्यवाही किये जाने के लिये

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R: 2820/II/15 जिला रीवा

भैयालाल — शेषमणि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-10-15	आवेदक अधि० श्री शंकरेश्वर तिवारी उप० उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधि० द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें पुनरंकित न कर उन पर विचार किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 6-7-15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि संगत एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में उपरोक्त परिस्थितियों में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। द०द०नि० हो सदस्य	

[कृ. प. उ.